अध्याय 3
कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का अनुपालन

कर्मचारी भविष्य निधि (**ईपीएफ**) और विविध प्रावधान अधिनियम (एमपीए), 1952 के द्वारा भविष्य निधि, पेंशन निधि और जमा-बद्ध बीमा निधि को कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को रक्षा प्रदान करने हेतु अधिनियमित किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 को केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुभाग 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर अन्य प्रतिष्ठानों के साथ निम्नलिखित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने हेतु तैयार किया गया था:

(अ) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना में संदर्भित लाउन्ड्री और लाउन्ड्री सेवाओ में लगे प्रतिष्ठानों में,

(ब) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सफाई और सफाई सेवाओं में लगे प्रतिष्ठानों के रूप में,

(स) रेलवे के निर्माण, रख-रखाव, संचालन और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए रेलवे में लगे प्रतिष्ठानों के रूप में (भारतीय रेलवे को छोड़कर जो विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसके कर्मचारी, **केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए** नियमों के तहत, भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का उपयोग कर रहें है); जैसा भारत सरकार की श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबन्धित अधिसूचना में निर्दिष्ट है।

ईपीएफ और एमपीए, 1952 और ईपीएफएस, 1952 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी **कर्मचारी भविष्य निधि** संगठन के पास है। कर्मचारी, भविष्य निधि योगदान के लिए वेतन का 12 प्रतिशत योगदान देता है। नियोजक भी 12 प्रतिशत का योगदान देता है, जिसमें ईपीएफ में 3.67 प्रतिशत और कर्मचारी पेंशन योजना के लिए 8.33 प्रतिशत शामिल हैं।

ईपीएफ और एमपीए, 1952 और ईपीएफएस, 1952 के प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए लेखापरीक्षा ने चयनित संविदाओं की समीक्षा की गई। निम्नलिखित अनुछेद में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा की गई है।

3.1 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ ठेकेदार का पंजीकरण

3.1.1 संविदा करने से पहले ठेकेदार के पंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए मूल नियोक्ता की जिम्मेदारी

किसी भी संविदा को देने से पहले, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन[48] के निर्देशों के अनुसार, मूल नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन** के साथ पंजीकृत है। संविदा मिलने के बाद **ईपीएफ** पोर्टल में मूल नियोक्ता द्वारा ठेकेदारों का विवरण भी दर्ज किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 20 संविदाओं में, रेलवे प्रशासन ने पुष्टि की कि संविदा के देने से पहले **ईपीएफ संगठन** के साथ ठेकेदार का पंजीकरण अस्तित्व में था।
- 12 संविदाओं में, रेलवे प्रशासन ने ठेकेदारों के पंजीकरण से पहले या बाद में **ईपीएफ संगठन** के साथ ठेकेदार का पंजीकरण सुनिश्चित नहीं किया, और
- 431 संविदाओं में, लेखा परीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

इस प्रकार, रेलवे प्रशासन, मूल नियोक्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाने में विफल रहा और संविदाओं के देने से पहले या बाद में ठेकेदारों के पंजीकरण को सुनिश्चित नहीं किया। नतीजन, ठेकेदारों द्वारा लगाये गए संविदा श्रमिकों के लिए संविदा मे श्रमिक अधिकारों के बारे में दिये गए आश्वासन से समझौता किया गया।

अनुबंध 3.1

3.1.2 ईपीएफ संगठन के साथ पंजीकरण के संबंध में नियोजक (ठेकेदार) की जिम्मेदारी

प्रावधानों[49] का पालन करने की आवश्यकता के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले हर नियोजक को **ईपीएफ संगठन** के साथ पंजीकृत होना चाहिए। लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- केवल 46 संविदाओं में ठेकेदारों द्वारा **ईपीएफ** पंजीकरण प्राप्त किया गया था,
- 96 संविदाओं में ठेकेदारों द्वारा **ईपीएफ** पंजीकरण नहीं लिया गया था,
- शेष 321 संविदाओं में, ठेकेदार के **ईपीएफ** पंजीकरण की जानकारी अभिलेखों मे नहीं मिली।

अनुबंध 3.1

[48] क.भ.नि. व प्र.उ.अ. 1952 की धारा 1(3)(अ) तथा (ब)

[49] क.भ.नि. व प्र.उ.अ. 1952 की धारा 2 के साथ क.भ.नि. व प्र.उ.अ. 1952 की धारा 1(3)(अ) तथा (ब) तथा क.भ.नि.यो. 1952 का पारा 36

इस प्रकार, मूल नियोक्ता द्वारा अधिनियमो के प्रावधानों का पालन न करने के कारण, ठेकेदारों द्वारा प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में आश्वासन को मंदित पाया गया।

3.1.3 संविदा श्रमिक के लिए भविष्य निधि खाता का आबंटन

नियमानुसार[50] भविष्य निधि खाता संख्या के आबंटन के लिए नियोजक (ठेकेदार) प्रत्येक महीने के अंत के 15 दिनों के भीतर ईपीएफ कमीशनर के संगठन को, कर्मचारियों के रिटर्न फॉर्म 5 में, पिछले महीने के दौरान पहली बार फंड के सदस्य बनने के योग्यता के साथ, ऐसे योग्यता वाले कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत फॉर्म 2 में घोषणा, के साथ भेजेगा। आयुक्त तुरंत प्रत्येक कर्मचारी को एक भविष्य निधि खाता आवंटित करेगा, जो सदस्य बनने के लिए अर्हता रखता है और नियोजक[51] के माध्यम से सदस्य को खाता संख्या बताएगा ।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- केवल 61[52] संविदाओं के संबंध में संविदा श्रमिक के भविष्य निधि खाता संख्या उपलब्ध थे,
- 144[53] संविदाओं के संबंध में नियोजक (ठेकेदार) द्वारा संविदा श्रमिक के लिए भविष्य निधि खाता संख्या के आवेदन और आवंटन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई और
- 258 संविदाओं के संबंध में, प्रासंगिक अभिलेख, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए।

इस प्रकार, संविदा श्रमिक को भविष्य निधि खाता संख्या का आवंटन न कर उन्हें भविष्य निधि की सुविधा के लाभ से वंचित रखा गया। यह निर्धारित प्रावधानों के तहत अपने दायित्व को पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से किए जाने वाली कार्रवाई की अनुपस्थिति के कारण था।

3.1.4 संविदा श्रमिक के मजदूरी से ईपीएफ कटौती और ठेकेदारों द्वारा योगदान के भुगतान के लिए मूल नियोक्ता की जिम्मेदारी

मूल नियोक्ता खुद के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मचारियों और ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में, स्वयं द्वारा देय योगदान तथा प्रशासनिक शुल्क[54], दोनों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं। ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में, ठेकेदार ऐसे कर्मचारी

---

[50] क.भ.नि.यो. 1952 का पारा 36(2)(अ)

[51] क.भ.नि.यो. 1952 का पारा 37

[52] उ.म.रे.(8), म.रे.(25), उ.रे.(10), उ.प.रे.(14) तथा द.प.रे.(4)

[53] उ.म.रे.(63), म.रे.(30), उ.रे.(17), उ.प.रे.(10) तथा द.प.रे.(24)

[54] क.भ.नि.यो. 1952 का पारा 30(3)

द्वारा देय योगदान (सदस्य के योगदान) को वसूल करेगा और मूल नियोक्ता को उस सदस्य के योगदान की राशि तथा योगदान के समान राशि (नियोजक के योगदान में) का भुगतान प्रशासनिक शुल्क[55] के साथ करेगा।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- केवल 32 संविदाओं के संबंध में, कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती उपरोक्त उपबंधों के अनुपालन में की गई।
- 22 संविदाओं के संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकन में पाया गया कि 1290 संविदा श्रमिक के मामले में कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती ₹ 0.15 करोड़ कम की गई।
- 103 संविदाओं के संबंध में, कर्मचारियों से ईपीएफ कटौती नहीं की गयी। 2388 संविदा श्रमिक के मामले में ₹1.92 करोड़ के कम कटौती/गैर-कटौती का आकलन लेखापरीक्षा द्वारा किया गया।
- 306 संविदाओं के संबंध में, उनके संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। इस प्रकार, इन संविदाओं के संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा ईपीएफ योगदान की नहीं की गई कटौती या कम कटौती की मात्रा का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

अनुबंध 3.2

- केवल 29 संविदाओं के संबंध में, ईपीएफ के प्रति नियोजक का योगदान उपर्युक्त प्रावधान के अनुपालन में बिना किसी कमी के किया गया।
- 24 संविदाओं के संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा किए गए मूल्यांकन में से 1525 संविदा श्रमिक के मामले में ईपीएफ के प्रति नियोजक के योगदान में ₹0.36 करोड़ की कमी थी।
- लेखापरीक्षा ने मूल्यांकन किया कि 104 संविदाओं के संबंध में, नियोजक द्वारा ईपीएफ मे योगदान नहीं किया गया और 2206 संविदा श्रमिक के मामले में ₹2.18 करोड़ का कम अंशदान किया गया।
- 306 संविदाओं के संबंध में, उसके संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे लेखापरीक्षा ठेकेदार द्वारा ईपीएफ योगदान की नहीं की गई कटौती या कम कटौती अंशदान का आकलन नहीं किया जा सका।

अनुबंध 3.3

इस प्रकार, ₹4.60 करोड़ की राशि या तो कम कटौती/कटौती नहीं की गई या योगदान पूरी तरह से/आंशिक रूप से नहीं किया गया। यह राशि न तो ईपीएफ संगठन को मूल नियोक्ता द्वारा जमा की गई और न ठेकेदारों से वसूल की गई। इस प्रकार,

[55] क.भ.नि.यो. 1952 का पारा 30(2)

रेलवे प्रशासन की निष्क्रियता का संविदा श्रमिक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

3.2 प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के प्रावधान

औपचारिक क्षेत्र में नई नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना[56] शुरू की है, जिसमे यूनिवर्सल अकाउंट संख्या (यूएएन) वाले नए कर्मचारियों के संबंध मे भारत सरकार नियोजक के 8.33 प्रतिशत योगदान को कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) को भुगतान करेगी। ये दिशानिर्देश 9 अगस्त 2016 से प्रभावी किए गए। यह योजना नियोजक को बेरोजगार व्यक्तियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने और अनौपचारिक कर्मचारियों को लेखा में लाने के उद्देश्य से पेश किया गया है।

रेलवे को, ठेकेदारों को ईपीएफ और एमपीए, 1952 और ईपीएफएस, 1952 के प्रावधानों का पालन करने, बेरोजगार लोगों की भर्ती को बढ़ावा देने और अनौपचारिक कर्मचारियों को अभिलेख में लाने के लिए शुरू की गई इस नई योजना के तहत प्रभावी रूप से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के जरूरत है।

3.3 ईपीएफ संगठन द्वारा चेक और निगरानी

निर्धारित प्रावधानों[57] के अनुसार, ईपीएफ कमिश्नर के अधिकारी, ईपीएफ व एमपीए, 1952 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए ईपीएफ रकम की कटौती/योगदान के श्रमिकों के अभिलेख की जांच के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की जांच कर सकते हैं। अभिलेख/दस्तावेज़, जो लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए की जांच से पता चला कि संविदा श्रमिक के अधिकारों के संरक्षण के लिए संबंधित ईपीएफ कमिश्नर के कर्मचारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, रेलवे प्रशासन के अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया कि ईपीएफ के कर्मचारियों द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों की जांच वैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अधिनियमों के तहत अनुपालन हेतु निरीक्षण किए गए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यवसाय विनियमन को सरल बनाने के विचार से पारदर्शी निरीक्षण नीति[58], नीतिगत नियमों के साथ प्रासंगिक मानक और मानदंडों सहित, जून 2014 मे तैयार किया गया है, जो कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और लगातार निरीक्षण को कम करने के लिए तैयार किया गया है।

---

[56] रोजगार महानिदेशालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा दिनांक 23.02.2017 को जारी ओ.एम. संख्या डी.जी.ई.-यू-13015/1/2016-एम.पी.

[57] क.भ.नि. व प्र.उ.अ. 1952 की धारा 13 के साथ क.भ.नि.यो. 1952 का पारा 46

[58] क.भ.नि. संगठन, श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा दिनांक 26.06.2014 को जारी परिपत्र संख्या एम.आइ.एस.-2(4)सी.ए.आइ.यू./वेब पोर्टल/2014-15।

इस योजना ने अनिवार्य निरीक्षण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, ईपीएफ एक पारदर्शी और जवाबदेह श्रमिक निरीक्षण प्रणाली के लिए फील्ड स्तर के आंकड़ों को इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए एक केंद्रीय विश्लेषण और खुफिया इकाई (सीएआईयू) स्थापित करेगा। सीएआईयू के माध्यम से अग्रेषित किए गए मामले डेटा और सबूत पर आधारित होंगे और ईपीएफ संगठन ने सीएआईयू द्वारा अपनी प्राथमिकताओं और आईएलओ सी -81[59] के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मामलों के चयन मानदंडों के लिए एक उपयुक्त पद्धति तैयार करेगी। कुछ विशिष्ट मामलों के संबंध में, निरीक्षण वैकल्पिक होगा और निर्धारित कंप्यूटरों के जरिए पूर्वनिर्धारित संख्या तालिकाओं का इस्तेमाल किया जाएगा जो अंतिम तिमाही के मुकाबले प्रेषण/सदस्यता में गिरावट आदि निर्धारित पैरामीटर के अनुसार होगा। निरीक्षण नीति के तहत निर्धारित पद्धति के अनुसार नियोजक को श्रमिक सुविधा पोर्टल पर मास्टर डेटा और सामयिक रिटर्न देना है। इस प्रकार, ठेकेदारों पर अधिनियमों और नियमों की प्रयोज्यता से स्वयं को आश्वस्त करना और ईपीएफ संगठन के साथ पंजीकरण सुनिश्चित करना मूलभूत आवश्यकता होगी, जिसे मूल नियोक्ता (रेलवे) को अधिनियम और नियम के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

[59] अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का श्रम निरीक्षण के संबंध मे संस्तुति